आदेश	कार्यवाही विवरण
24/3/19	पत्रावली पेश हुई। [illegible] की प्रति प्राप्त [illegible] मौके पर स्थल पर [illegible] की प्रति प्राप्त [illegible] पाया कि [illegible] पक्षकारान ने [illegible] की सरहद में [illegible] दीपपुरा पठार हल्का कनवारा की सरहद में [illegible] नम्बर 294, 295, 297, 309 [illegible] थी। उक्त भूमि [illegible] में पक्षकारान रिकार्ड खातेदार [illegible] दर्ज [illegible] दर्ज है, लेकिन उक्त वहिते [illegible] के [illegible] निर्दिष्ट [illegible] पक्षकारान की जाति गुर्जर के बजाय माली दर्ज निर्दिष्ट [illegible] का गलत दर्ज निर्दिष्ट होना प्रतीत होता [illegible] पक्षकारान है। पत्रावली का अवलोकन किया गया [illegible] मनन किया गया। बहस मनन करने व अवलोकन करने से [illegible] पश्चात पाया है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2016 [illegible] 2029 के अनुसार पक्षकारान [illegible] की जाति गुर्जर [illegible] रिकार्ड है। पत्रावली पर मौजूद [illegible] अन्य पक्षकारान के जाति प्रमाण-पत्र, सहर राजस्व-पत्रों के अनुसार पक्षकारान की जाति गुर्जर है। उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पक्षकारान का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश पक्षकारान का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम दीपपुरा पठार हल्का कनवारा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 294, 295, 297, 309 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारान की जाति माली के बजाय गुर्जर दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में जाति दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज यथास्थिति रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कायम व दायिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner